18|11|24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० | प्रा०पत्र
२१२ पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत बहस व
सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन के आधार
पर मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक
प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा-212 राज० काश्तकारी
अधि० 1955 कंफर्म/स्वीकार की जाती है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.01.27 13:42:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner